न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)।

उ०प्र० राज्य	**विशेष सत्र प्रकरण सं०-50/2020**
बनाम	**अपराध संख्या-279/2020**
राजू वर्मा उर्फ लोधई	**धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट**
	थाना-कोतवाली देहात
	जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

आदेश

(आज दिनांक-21.05.2026 को पारित)

आवेदन परिचय

1. इस आदेश के माध्यम से आवेदक/कथित अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-311 दं०प्र०सं० (दस्तावेज सं०-20ख) का निराकरण किया जा रहा है।

उपस्थिति

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री संदीप पाण्डेय उपस्थित
3. राज्य की ओर से श्री पवन कुमार शुक्ल, विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदन पत्र के तथ्य

4. आवेदक/कथित अभियुक्त राजू वर्मा उर्फ लोधई की ओर से एक आवेदन पत्र (दस्तावेज क्र०-20ख) दिनांकित 18.06.2025 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उक्त आपराधिक विचारण वाद में कथित अभियुक्त है। उपरोक्त वाद में पीडिता साक्षी पी०डब्लू०-3 की न्यायालय में दिनाँक 22.02.2023 को मुख्य परीक्षा एव प्रतिपरीक्षा हो चुकी है। पीडिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना दिनांक 27.08.2020 समय शाम करीब 07.30 बजे की बताई है, जिसमे किसी प्रकार के प्रकाश/उजाले का कथन नहीं किया है, जबकि अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह में समय करीब 07.30 बजे शाम को काफी अन्धेरा हो जाता है और प्रकाश अथवा उजाले के बिना किसी व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है। पीडिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना दिनांक 27.08.2020 समय शाम करीब 07.30 बजे की बताई है। जबकि अपने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में घटना की तिथि 28.08.2020 व समय करीब 03.00 बजे शाम को बताया है, जिससे सम्बन्धित तथ्य की सच्चाई को न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय के समक्ष लाया जाना अति आवश्यक है।

5. पीडिता पी०डब्लू०-3 ने अपनी मुख्य परीक्षा मे बताया है कि पुलिस वहाँ आयी, उसे व राजू वर्मा को वहाँ से पकड लिया तथा फर्द बरामदगी का पहचान करते हुए अपने हस्ताक्षर को भी पहचाना है, परन्तु फर्द बरामदगी के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि मात्र पीडिता ही पुलिस को मिली है, उसमे कहीं भी प्रार्थी के मिलने का जिक्र नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त तथा पीडिता के पिता/वादी मुकदमा में चुनावी रंजिश के कारण प्रार्थी को फर्जी तरीके से फंसा दिया है, जबकि प्रार्थी की कथित घटना में किसी प्रकार से संलिप्तता है और न ही कोई घटना प्रार्थी ने कारित किया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/कथित अभियुक्त की ओर से साक्षी पीड़िता पी०डब्लू०-3 से पुनः प्रतिपरीक्षा करने हेतु तलब किये जान की याचना की गई है।

<u>राज्य की आपत्ति</u>

6. आवेदन पत्र की एक प्रति राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक को उपलब्ध कराई गई। उनके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-311 दं०प्र०सं० का लिखित विरोध करते हुए आपत्ति (दस्तावेज क्र०-23 ख) प्रस्तुत की गई है कि साक्षी पीड़िता पी०डब्लू०-3 की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दिनांक 22.02.2023 को हो चुकी है एवं शेष प्रतिपरीक्षा दिनांक 02.07.2023 को पूर्ण हो चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा सम्पूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिपरीक्षा साक्षी पीड़िता पी०डब्लू०-3 से की जा चुकी है। पाक्सो एक्ट में पीड़िता को बार-बार बुलाने के लिए प्रतिबन्धित किया गया है। बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपनी कमी पूरा करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। कमी को पूरा करने के लिए साक्षी को नहीं बुलाया जा सकता है। पीड़िता को प्रतिपरीक्षा हेतु पुनः बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-311 दं०प्र०सं० को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

<u>विधिक प्रावधान-</u>

7. धारा-311 दं०प्र०सं० इस संबंध में यह उपबंधित करती है कि-

धारा-311 दं०प्र०सं०-आवश्यक साक्षी के समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति-कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है और **<u>यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य</u>**

<u>आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।</u>

<u>न्यायालय का अभिमत</u>

8. प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का समुचित अवलोकन किया।

9. उपरोक्त विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो अभियुक्त/आवेदक राजू वर्मा उर्फ लोधई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.02.2023 एवं 27.02.2023 को साक्षी पीड़िता (अ०सा०-3) से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की जा चुकी है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में यह कहीं भी यह लेख नहीं किया गया है, कि उनके द्वारा साक्षी पीड़िता (अ०सा०-3) से कौन-कौन से प्रश्नों पर प्रतिपरीक्षा की जानी है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को साक्षी पीड़िता (अ०सा०-3) से प्रतिपरीक्षा करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है, ऐसा प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष अपनी कमियों की पूर्ति करने एवं मुकदमे को विलम्बित रखने के आशय से पीड़िता को प्रतिपरीक्षा हेतु पुनः तलब करना चाहता है, ऐसी स्थिति में साक्षी पीड़िता (अ०सा०-3) को पुनः प्रतिपरीक्षा हेतु तलब किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत में आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-311 दं०प्र०सं० सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राजू वर्मा उर्फ लोधई की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत अन्तर्गत धारा-311 दं०प्र०सं० (दस्तावेज सं०-20ख) दिनांकित 18.06.2025 निरस्त किया जाता है। तद्नुसार राज्य की ओर से प्रस्तुत आपत्ति (कागज सं०-23ख) निस्तारित की जाती है। पत्रावली अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य अभिलेखन हेतु दिनांक-26.05.2026 को पेश हो। अभियोजन साक्षी नियत तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति रहे। पक्षकार सूचित हों।

दिनांक-21.05.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट,
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.05.22 16:21:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court